न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/10/2024	2024/36	09–04–2024	04–12–2024

1. उमरदीन पुत्र बसारत जाति मेव निवासी लालपुरी तह0 किशनगढबास जिला अलवर।
2. फज्जर पुत्र लालजी जाति मेव निवासी लालपुरी तह0 किशनगढबास जिला अलवर।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. लल्लू पुत्र देवीसहाय जाति जाटव निवासी खोयडा करमाली तह0 नौंगावा जिला अलवर।

–असल रेस्पो0

2. सुमरदीन पुत्र बसारत जाति मेव
3. हाकमदीन पुत्र बसारत जाति मेव
4. कासम पुत्र बसारत जाति मेव
5. फजरी पत्नी सुमरदीन जाति मेव
6. साहिना पत्नी कासम जाति मेव निवासीयान लालपुरी तहसील किशनगढबास जिला अलवर राज0।

–तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्ध तहसीलदार नौगांवा दिनांक 14.02.2024 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 183 (बी) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः–

01–कु0 सुषमा शर्मा –वकील अपीलाण्ट्स

02–श्री आनन्द सिंह –वकील असल रेस्पो0

::<u>निर्णय</u> ::–

अपीलाण्ट्स द्वारा यह अपील मातहत न्यायालय तहसीलदार नौगांवा के निर्णय दिनांक 14.02.2024 वाके ग्राम खोयडा करमाली तह0 रामगढ जिला अलवर, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलाण्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि आज्ञा दिनांक 14.02.2024 की है। अदालत मातहत द्वारा निर्णय रिजर्व रखा गया था कई चक्कर लगाने के बाद भी हमें तारीख हमारे वकील ने नही बताई। दिनांक 13.03.2024 को हम अदालत में निर्णय पूछने के लिए गये तो आदेश दिनांक 14.02.2024 की जानकारी दी। सी दिन दिनांक 13.03.2024 को नकल के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 18.03.2024 को तैयार हुई हमें नकल दिनांक 19.03.2024 को मिली। उसके बाद अलवर आकर अभिभाषक से सम्पर्क कर जानकारी की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। ऐतिहात के तौर पर दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा है। संक्षिप्त वृतान्त इस प्रकार है कि असल रेस्पोडेंट द्वारा एक प्रार्थना पत्र धारा 183 (बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के हत अपीलांट व तरतीबी रेस्पोडेंटान के खिलाफ पेश किया। असल रेस्पोडेंटान द्वारा प्रार्थना पत्र में सभी तथ्य गलत अंकित किये गये। अदालत मातहत ने अपने निर्णय में यह तथ्य गलत अंकित किया कि अप्रार्थी सं. 1 व उनके अभिभाषक द्वारा खसरा नं. 65 रकबा 1.02 है. पर अपना कब्जा होना स्वीकार किया। सही तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटान ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि हमने खसरा नं. 65 रकबा 1.02 है. वाके खोयडा करमाली पर नाजायज कब्जा किया है। अदालत मातहत द्वारा गलत तथ्य दर्ज करते हुए असल रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर. अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंटान को बेदखल किये जाने की बेजा आज्ञा प्रदान की गई है। अपीलांटान व तरतीबी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)

रेस्पोडेंटान द्वारा खसरा नं. 65 रकबा 1.02 है. वाके ग्राम खोयड़ा करमाली असल रेस्पोडेंट की आराजी पर कभी कब्जा नहीं किया। हम अपीलांटान की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 336 रकबा 2.43 है. ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर में स्थित है। असल रेस्पोडेंट का खसरा नं. 65 ग्राम खोयड़ा करमाली तहसील रामगढ़ व अपीलांटान की खातेदारी की आराजी खसरा नं. 336 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढ़बास जिला अलवर के बीच रामगढ़ व किशनगढ़बास की सीमा लगती हुई है। रामगढ़ व किशनगढ़बास की सीमा से तरफ पूर्व को अपीलांटान का खसरा नं. 336 स्थित है तथा सीमा से तरफ पश्चिम को असल रेस्पोडेंट का खसरा नं. 65 स्थित है। खोयडा करमाली की हाल तहसील नौगांवा बन गई है। खसरा नं. 336 वाके ग्राम लालपुरी तहसील किशनगढ़बास व खसरा नं. 65 वाके ग्राम खोयड़ा करमाली तहसील रामगढ़ की सीमा पिछले 2–3 सैटिलमेंट से वर्तमान स्थान पर स्थित है जिस सीमा पर पुराने पेड़ व झूड़े झाड़ियों के पेड़ करीब 40–50 साल पुराने खड़े हैं जो स्पष्ट रूप से सीमा को दर्शित करते हैं। सैटिलमेंट द्वारा गाढ़े गये पत्थर भी सीमा पर मौजूद है। असल रेस्पोडेंट के मन में बदयान्ति आ गई है जिसने दोनों तहसीलों की सीमा को मिसमार करने के लिए सीमा पर लगे पुराने पेड़ों को काटना प्रारम्भ कर दिया। पुराने झूड़ों, पेड़ों को उखाड़ कर सीमा समाप्त करने की कोशिश की। इस पर अपीलांटान ने एस.डी.ओ. किशनगढ़बास की अदालत में हुक्मईम्तनाईदवामी का दावा किया जिसमें अपीलांटान के हक में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी है। असल रेस्पोडेंट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष पेश दावे में यह तथ्य सरासर गलत अंकित किया कि हम अपीलांटान व तरतीबी रेस्पोडेंटान द्वारा खसरा नं. 65 रकबा 1.02 है. पर कब्जा कर रखा है जबकि पटवारी की बिना नपत किये हुए दी गई मौका रिपोर्ट में सालिम खसरा नम्बर पर अपीलांट का कब्जा नहीं बताया है। खसरा नं. 65 रकबा 1.02 है. में से 0.80 है. पर स्वयं प्रार्थी 1 (असल रेस्पोडेंट) का कब्जा बताया है जबकि प्रार्थी (असल रेस्पोडेंट) ने अपने प्रार्थना पत्र में सालिम रकबे पर हमारे द्वारा नाजायज कब्जा करना दर्ज किया है। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की ओर गौर किये बिना ख.नं. 65 के सालिम रकबे से हमें बेदखल करने की आज्ञा प्रदान की है। पटवारी हल्का नीकच द्वारा बिना नपत किये ही सरसरे अंदाज में यह लिखा है कि ख.नं. 65 के 0.80 है. पर लल्लू का कब्जा है शेष रकबा पर उमरदीन व सुमरदीन ने कब्जा किया है जो तथ्य पटवारी हल्का ने गलत दर्ज किया है मौका निरीक्षण के समय हमें कोई नोटिस नहीं दिये गये। हमारे द्वारा खसरा नं. 65 से हमारे खेत खसरा नं. 336 करीब 5 फुट नीचा है। हम सीमा को मिसमार कर 5 फुट ऊंचे खेत पर कब्जा करे यह अंसभव है। पटवारी द्वारा असल रेस्पोडेंट लल्लू के मिल्लत के लोगों से मिलकर गलत रिपोर्ट दी है, हमें सूचित नहीं किया गया। असल रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट द्वारा एस.डी.ओ. किशनगढ़बास की अदालत में किये दावे के जवाब में कीं पर भी यह दर्ज नहीं किया है कि हम अपीलांटान द्वारा उसकी खातेदारी के खसरा नं. 65 पर नाजायज कब्जा किया हुआ है। असल रेस्पोडेंट द्वारा मात्र इतना दर्ज किया है कि हम पुरानी सीमा को तोड़ने की कोशिश में हैं। इस प्रकार यह बात अपने आप में गलत साबित हो जाती है कि हमने असल रेस्पोडेंट के खसरा नं. 65 पर नाजायज कब्जा कर रखा है। अदालत मातहत द्वारा अपनी तजबीज में अहम बिन्दुओं को नजर अंदाज किया है जो निर्णय हरसूरत में निरस्त किये जाने योग्य है। असल रेस्पोडेंट द्वारा सीमा को मिसमार करवाने के लिए सन् 2016, 2016, 2021 में अपीलांटान के पीछे से मौका दिखवाया। मौका निरीक्षण से पूर्व अपीलांटान को कोई नोटिस नहीं दिया गया हमारे बैंक से पटवारी से मिलकर रिपोर्ट तैयार की। इन तीनों मौका रिपोर्ट में कहीं भी यह दर्ज नहीं है कि अपीलांटान ने असल रेस्पोडेंट की भूमि को दबायास हुआ है जो काबिल गौर अदालत श्रीमान् है। अतः अपील प्रस्तु कर निवेदन है कि अदालत मातहत तहसीलदार नौगांवा का आदेश दिनांक 14.02.2024 निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने की आज्ञा सादिर की जावे।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

वकील रेस्पोडेन्टान द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 65 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम खोयडाकरमाली तह0 नौगांवा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी में रेस्पो0 1 का पूर्ण हिस्सा है। उक्त आराजी पर अपी0 द्वारा नाजायज रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया हुआ है जिसे कहने पर भी नहीं हटाते हैं। रेस्पो0 गरीब अनुसूचित जाति का व्यक्ति है एवं अपी0 (मेव मुस्लिम) स्वर्ण जाति से संबंध रखते हैं तथा सामान्य श्रेणी के हैं तथा लडाई झगडा व मारपीट करते हैं। वकील रेस्पो0 द्वारा अपी0 अपील खारिज फरमाए जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2024 के विरूद्व दिनांक 22.03.2024 को पेश की गयी है जो करीब 01 माह 08 दिन के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रुख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का नीकच की मौका रिपोर्ट एवं मुताबिक जमाबन्दी आराजी ख0नं0 65 रकबा 1.02 है0 वाके ग्राम खोयडाकरमाली तह0 नौगांवा जिला अलवर रेस्पो0 सं0 01 लल्लू पुत्र देवीसहाय जाति जाटव निवासी ग्राम खोयडाकरमाली तह0 नौगांवा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से संबंध रखता है। चूंकि, रेस्पो0 खातेदार अनुसूचित जाति वर्ग से है, एस.सी/एस.टी जाति वर्ग की भूमि का काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 42 के तहत किसी भी प्रकार स्थानान्तरण सामान्य श्रेणी के व्यक्ति को नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दि0 14.02.2024 विधिवत एवं नियमानुसार पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.02.2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)